

## कृष्णा जल विवाद

### प्रलिस के लयः

कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण- II (KWDT-II), [अंतर-राजु नदी जल वलवऱ अधनलडड \(ISRWD\)-1956](#), कृष्णा नदी, [भारतीय संवधऱन का अनुचछेद 262](#)

### डेनुस के लयः

कृष्णा जल वलवऱ, कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण-II, अंतर-राजुीय जल वलवऱ

[सुरतः डी. आई. डी.](#)

### करुा डें करुुु?

केंदुरीय डंतुरडडडल ने तेलंगाना और आंधुर डुरदेश (AP) राजुुुु के डीक नरुणुड हेतु [अंतर-राजु नदी जल वलवऱ अधनलडड \(ISRWD\)-1956](#) के तहत डुडुड कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण- II (KWDT-II) के लडुड एक अनुड संदरुड की शरतुुु (ToR) के डुदुे कु डंडुरी दे डी है ।

### कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण-II (KWDT-II):

- कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण-II का गठन केंदुर सरकर दुरा डुररैल 2004 डें ISRWD अधनलडड, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी से संबधतल **जल-वतरण/नरुडतुरण वलवऱडुु कु नडडटाने और सुलडुडाने के लडुड** कडुड गडुड थल ।
- डसका गठन डहाराषदुर, करुनाटक और आंधुर डुरदेश **राजुुुु के डीक कृष्णा नदी के जल-वतरण/नरुडतुरण** वलवऱ का सडडधऱन करने के लडुड कडुड गडुड थल ।
- KWDT-II ने जल की उडलडधुता, राजुुुु कु डसकी आपुरतु और अनुड डुरासंगकल कररकुुु के आधर डुरकृष्णा नदी के जल की अनुशंसऱ एवं आवंटन सुनशुकरतल कडुड । डसने डुरतुडेक राजुड कु एक नशुकरतल डऱतुरऱ डें जल उडलडध कररऱडऱ, डसडें उस डुरतुडेक हसुसे कु रेखऱंकतल कडुड गडुड जसु डे डुरऱडुत करने के हकदऱर थे ।

### कृष्णा जल वलवऱडुु:

- डुरकडुड:**
  - कृष्णा जल वलवऱ डहाराषदुर, करुनाटक, तेलंगाना और आंधुर डुरदेश राजुुुु के डीक **कृष्णा नदी के जल के नुयाडसंगत वतरण डुर केंदुरतल** है ।
  - कृष्णा नदी डन राजुुुु से हुकर डहती है और वलवऱ उतुडनुन हुने का डुरडुख कररण राजुुुुु की अलग-अलग डुररुरतें, ऐतहलसकल डतडेद और राजनीतकल व डुरशासनकल डुरदुरशुड डें डदलऱव है ।
- डुरषुठडुडुडः**
  - वलवऱ का केंदुर:** आंधुर डुरदेश डें कृष्णा नदी डुर सुथतल शुरीशैलड डऱँध **वलवऱ का डुरडुख केंदुर** है । आंधुर डुरदेश ने वदुडुत उतुडऱदन के लडुड शुरीशैलड डऱँध के जल के तेलंगाना दुरऱऱ उडडुड का वरुडध कडुड ।
  - वलवऱ की डुरषुठडुडुडः** डस वलवऱ का संबध वरुष 1956 डें आंधुर डुरदेश के गठन से है और डसका सडडधऱन वरुष 1973 डें **कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण (KWDT)** के डऱधुडड से कडुड गडुड थल । कृष्णा नदी के जल कु डुनः आवंटतल करने के लडुड वरुष 2004 डें **डूसरे कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण** की सुथऱडनऱ की गई थी ।
  - KWDT आवंटन (वरुष 2010):** डूसरे कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण दुरऱऱ वरुष 2010 डें डुरसतुत की गई रडुडुरट डें कृष्णा नदी के जल का आवंटन डस डुर **65% नरुडडरुता** और अधशेष डुरऱऱऱ के लडुड नडुनऱनुसार कडुड गडुडः
    - डहाराषदुर के लडुड 81 हडुडऱ डलडुडन घन (TMC) डुरीट, करुनाटक के लडुड 177 TMC और आंधुर डुरदेश के लडुड 190 TMC ।
  - आंधुर डुरदेश की कुनऱतडुडुडः** वरुष 2011 डें आंधुर डुरदेश ने एक वशेष अनुडतऱ डऱऱकलऱ सहतल कऱनुनी कररुडऱऱऱ के डऱधुडड से सरुवुकु नुयाडऱलडुड के सडकषु KWDT दुरऱऱ कडुड गडुड आवंटन कु कुनऱती डी ।

- वर्ष 2013 में KWDT ने एक **अन्य रपिर्ट** जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फरि से **सर्वोच्च न्यायालय** में चुनौती दी गई।
- तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने चार राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि **तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था**। इसलिये जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिससे में से होना चाहिये, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
- **संवैधानिक ढाँचा:**
  - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262** अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनरिणयन का प्रावधान करता है, जिसे संसद को इस उद्देश्य के लिये कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
  - **अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिये तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापति करने का अधिकार देता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा।
  - यह दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये परियोजना-वार जल आवंटित करेगा।

## कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के नकिट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **दूरेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गरिने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कि.मी.), उत्तरी कर्नाटक (480 कि.मी.) और शेष 1300 कि.मी. तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:**
  - **दाई ओर की सहायक नदियाँ:** घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा।
  - **बाई ओर की सहायक नदियाँ:** भीमा, मुसी और मुन्नेरु।



- **जलवदियुत वकिस:**
  - कृष्णा नदी बेसनि में प्रमुख जल वदियुत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा हैं।
- **पौराणिक महत्त्व:**
  - कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगनीतंत्र (एक तांत्रिक ग्रन्थ) में कृष्णवेणी के नाम से जाना जाता है।
  - इसे **जातकों और खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में कान्हापेन्ना** के नाम से भी जाना जाता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute-1>

